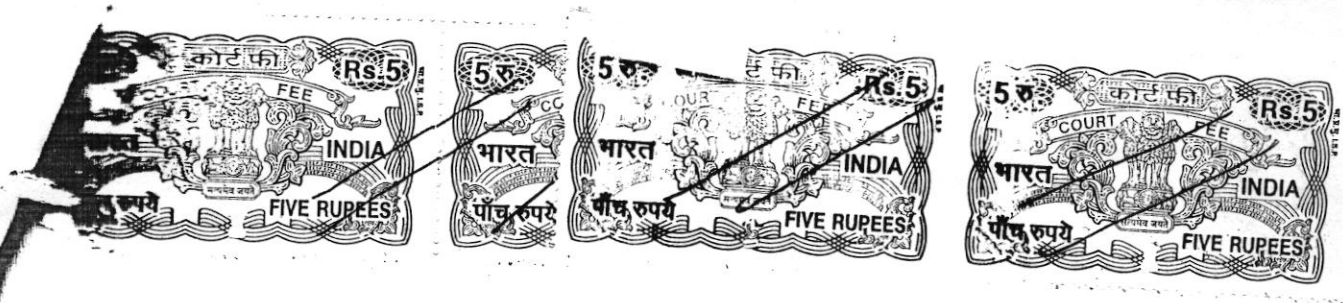

न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांकः- /१२/ निगरानी — 2353-I/12

०१. इकबाल पिता जमालउद्दीन निवासी सिविल लाईन जिला देवास (म०प्र०)
०२. नईमुद्दीन पिता मोईनुद्दीन निवासी कर्मचारी कालोनी देवास (म०प्र०)

..............आवेदकगण

विरूद्व

०१. श्रीमंत तुकोजीराव पंवार रिलिजियस एण्ड चेरीटेबल ट्रस्ट देवास सीनीयर देवास (म०प्र०)
०२. मध्यप्रदेश शासन

.............अनावेदक

17.7.12

23-7-12

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा ५० म.प्र.भू.रां. संहिता

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय देवास जिला देवास के प्रकरण क्रमांक २१/निगरानी/१०.११ में पारित आदेश दिनांक ३०/०६/२०१२ से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पुनंरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है।

०१. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

०२. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा १२६ भू०रा०संहिता के प्रावधानों का पालन किये बिना जैर निगरानी आदेश पारित करने में महान वैधनिक त्रुटि की है।

०३. यह कि अनावेदक एक द्वारा जिस भूमि का सीमांकन कराया जाना बताया जा रहा उस गॉव का नक्षा नहीं है, इस प्रकार बिना नक्षे का सीमांकन कैसे किया जा सकता है इस बिन्दु पर विचार किये बिना जैर निगरानी आदेश पारित करने महान वैधानिक त्रुटि की है।

०४. यह कि नियमानुसार सीमांकन के समय उससे लगी हुई आस-पास की भूमि स्वामियों व उस पर काबिज भूमि स्वामियों को सुचना दी जाना आवश्यक है परन्तु आवेदक को अनावेदक द्वारा सीमांकन कराए जाने की कोई सुचना किसी भी प्रकार की नहीं दी गई ओर ना ही आवेदक मोके पर उपस्थित थों इस प्रकार आवेदकगण की पीठ पीछे किया गया सीमांकान अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

XXIX(a)-BR(H)-11

200

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2353-एक/12 **जिला** - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	